संख्या–552/XVIII(II)/2013–18(20)/2013

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 8 मई ~~मार्च~~, 2013

विषयः–सीमान्त जनपद चमोली में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु कुल 7.173 है0 भूमि निःशुल्क हस्तांतरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–54/सत्ताईस–04 (2012–13) दि0–16.1.2013 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, सीमान्त जनपद चमोली में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु ग्राम कोठियालसैंण एवं ग्राम ग्वीलो में यथा प्रस्तावित ज0वि0 की कुल 3.753 है0 एवं ज0वि0र0 की 3.420 है0 कुल 7.173 है0 भूमि, को वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–02–02 के प्राविधानों के अधीन तथा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

(3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

(5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

(6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पडी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

(7) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

..............2

(8) प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109 /2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) इस संबंध में कुछ स्थानों पर रास्ते के लिए निजी भूमि के क्रय/अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिये तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(11) प्रश्नगत भूमि के कुछ भाग का प्रबंधन उद्यान विभाग के नाम होने के कारण इस संबंध में तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा उद्यान विभाग से विभागीय अनापत्ति प्राप्त कर ली जायेगी।

(12) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–1 से 11 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0संख्या–552/समदिनांकित/2013
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– कुल सचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
3– निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर गढ़वाल।
4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।